



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29092021-230051
CG-DL-E-29092021-230051

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 554]
No. 554]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 29, 2021/आश्विन 7, 1943
NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 29, 2021/ASVINA 7, 1943

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 सितम्बर, 2021

सं. 53/2021-सीमाशुल्क (एडीडी)

सा.का.नि. 671(अ).—जबकि चीन जनवादी गणराज्य और यूरोपीय संघ (एतश्मिन पश्चात जिसे विषयगत देश से संदर्भित किया गया है) में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित 'कलर कोटेड/प्री पेंटेड, फ्लेट अलॉय या नॉन-अलॉय स्टील' (एतश्मिन पश्चात जिसे विषयगत वस्तु से संदर्भित किया गया है) जो कि सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची के शीर्षक 7210, 7212, 7225 या 7226 के अंतर्गत आते हैं, के आयात पर भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 49/2017-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 17 अक्टूबर, 2017, जिसे सा.का.नि. 1303 (अ), दिनांक 17 अक्टूबर, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा लगाए गए प्रतिपाटन शुल्क को आगे जारी रखने के मामले में सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) (एतश्मिन पश्चात जिसे उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम से संदर्भित किया गया है) की धारा 9क की उप-धारा (5) के अनुसार तथा सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उनका आंकलन और उन पर प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (एतश्मिन पश्चात जिसे उक्त नियमावली से संदर्भित किया गया है) के नियम 23 के अनुपालन में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी अपने प्रारंभिकीकरण अधिसूचना संख्या 7/16/2021-डीजीटीआर, दिनांक 26 जुलाई, 2021, जिसे दिनांक 26 जुलाई, 2021 को भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग I, खंड 1 में प्रकाशित किया गया था, के तहत समीक्षा का कार्य शुरू किया है और उन्होंने उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उप-धारा (5) के अनुसार उक्त प्रतिपाटन शुल्क को आगे भी जारी रखने के लिए अनुरोध किया है।

अतः अब उक्त नियमावली के नियम 18 और 23 के साथ पठित उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उप-धारा (1) और (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 49/2017-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 17 अक्टूबर, 2017, जिसे सा.का.नि. 1303 (अ), दिनांक 17 अक्टूबर, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, पैरा 2 के पश्चात और स्पष्टीकरण से पहले, निम्नलिखित पैरा को अंतःस्थापित किया जाएगा।

“3. पैरा 2 में निहित किसी भी बात के होते हुए भी, इस अधिसूचना के तहत लगाया गया प्रतिपाटन शुल्क 31 मार्च 2022 तक लागू रहेगा, जब तक कि इसे उससे पहले निरस्त, प्रतिस्थापित या संशोधित नहीं किया जाता।”

[फा. सं. सीबीआईसी-190354/156/2021-टीओ (टीआरयू-I)-सीबीईसी]

राजीव रंजन, अवर सचिव

नोट : प्रधान अधिसूचना संख्या 49/2017-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 17 अक्टूबर, 2017 को सा.का.नि. 1303(अ), दिनांक 17 अक्टूबर, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th September, 2021

No. 53/2021-Customs (ADD)

G.S.R. 671(E).—Whereas, the designated authority *vide* initiation notification No. 7/16/2021-DGTR, dated the 26th July, 2021, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, dated the 26th July, 2021, has initiated review in terms of sub-section (5) of section 9A of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) (hereinafter referred to as the Customs Tariff Act) read with rule 23 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 (hereinafter referred to as the said rules), in the matter of continuation of anti-dumping duty on imports of ‘Colour coated/pre-painted flat products of alloy or non-alloy steel’ (hereinafter referred to as the subject goods) falling under heading 7210, 7212, 7225 or 7226 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, originating in or exported from People’s Republic of China and European Union (hereinafter referred to as the subject countries), imposed *vide* notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 49/2017-Customs (ADD), dated the 17th October, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 1303(E), dated the 17th October, 2017, and has requested for extension of the said anti-dumping duty in terms of sub-section (5) of section 9A of the Customs Tariff Act;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (5) of section 9A of the said Customs Tariff Act, read with rules 18 and 23 of the said rules, the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 49/2017-Customs (ADD), dated the 17th October, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 1303(E), dated the 17th October, 2017, namely: -

In the said notification, after paragraph 2 and before the Explanation, the following paragraph shall be inserted, namely: -

“3. Notwithstanding anything contained in paragraph 2, the anti-dumping duty imposed under this notification shall remain in force up to and inclusive of the 31st March, 2022, unless revoked, superseded or amended earlier.”.

[F. No. CBIC-190354/156/2021-TO(TRU-I)-CBEC]

RAJEEV RANJAN, Under Secy.

Note : The principal notification No. 49/2017-Customs (ADD), dated the 17th October, 2017, was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 1303(E), dated the 17th October, 2017.